M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
06 OCT 2018
Inward No. 3436

मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 05.अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ 16-19/2018/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लि. द्वारा स्मार्ट औद्योगिक पार्क, पीथमपुर जिला धार में आटो कम्पोनेंट निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को बडी संख्या में रोजगार के अवसर एवं फोकस सेक्टर अन्तर्गत होने के दृष्टिगत निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. **विद्युत टेरिफ में रियायत** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु रू. 5/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, किन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात देय नही होगी। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी।
2. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
3. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।
4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-19/2018/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05.अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

4/ आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।

5/ कलेक्टर, जिला धार ।

6/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(भोपाल) लिमि., इन्दौर ।

7/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मे. जमना आटो इण्डस्ट्रीज लिमि. 5 वां तल, कमर्शियल टॉवर, होटल नोवोटेल एण्ड पुलमेन, एसेट एरिया न.2, हॉस्पिटलिटी डिस्ट्रिक्ट एरोसिटी, नई दिल्ली-110037

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5/10/18

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग